न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 31/2012 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00165

उनवान

बुद्धो देवी पत्नि श्री मोहन लाल जाति धाकड निवासी विचपुरी पट्टी कस्बा वैर, जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. दौजी (मृतक) } पुत्रान नानिगा जाति नाई निवासी लुहासा तह0 वैर जिला भरतपुर।
2. बुद्धि (मृतक) }
3. बाबूलाल पुत्र गिर्राज जाति धाकड निवासी लुहासा तह0 वैर, जिला भरतपुर
4. घमण्डी } पिसरान कमल जाति धाकड नि0 लुहासा तह0 वैर जिला भरतपुर।
5. बनै सिंह }
6. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।
7. गोपाल पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी लुहासा तह0 वैर जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, वैर दिनांक 02.03.2012 प्र.सं. 232/08 उनवानी बुद्धो बनाम दौजी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अर्जुन सिंह उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–22.04.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 960 रकवा 14 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम बझेरा कलॉ तहसील वैर में स्थित है जिसमें वादिनी/अपीलाण्ट 3/8 हिस्से की एवं आराजी खसरा नम्बर 961 रकवा 01 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम बझेरा कला तहसील वैर जिला भरतपुर में वादिनी/अपीलाण्ट 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार एवं काबिज

आराजी है। उक्त विवादित आराजीयात वादिनी/अपीलाण्ट ने आराजी के पूर्व खातेदार काश्तकार प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 बुद्धी से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.09.2008 को खरीद किया है। शेष प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 वादिनी/अपीलाण्ट से द्वेषभावना रखता है एवं वादिनी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में बाधा व रूकावट पैदा करता है। अतः विवादित आराजीयात में सम्मिलित काश्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात में अपने अधिकारो की घोषणा कराने व आराजी का विभाजन कराने व प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अनुतोष चाहा। दौराने दावा प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 07 गोपाल ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजीयात से वादिनी/अपीलाण्ट एवं प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं है। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 संख्या 02 व 03 द्वारा उक्त आराजी बाबत जो वयनामा दिनांक 04.05.1962 को प्रार्थी से अवैध तरीके से कराया था वह कानून की नजर में बेअसर था। क्योंकि एक तो प्रार्थी उस समय नाबालिग था एवं दूसरा वह मीणा जाति का है। इसलिए अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से सवर्ण के हक में वयनामा तस्दीक नहीं हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, दावा वादिनी/अपीलाण्ट आदेश 07 नियम 11 में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादिनी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित रहें, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर का अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी एवं खिलाफ मौका व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। विवादित आराजीयात अपीलाण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 11.09.2008 को रैस्पो0 संख्या 01 व 02 से क्रय किया था। वक्त वयनामा से विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजीयात से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पो0 गोपाल ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में धारा 42(1) के प्रावधान का सहारा लिया है यह प्रावधान दिनांक 04.05.1962 को प्रभाव में नहीं थे बल्कि यह प्रावधान दिनांक 02.05.1964 से लागू हुआ है। इसलिये 1962 के वयनामा को उक्त कारणो के जरिये मंसूख नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1994 पेज 98 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक कथनों की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन निर्णय को चुनौती देने योग्य, कोई नये तथ्य, तर्क अथवा साक्ष्य अपील में प्रस्तुत नही किये हैं। प्रकरण में रैस्पो0 संख्या 07 द्वारा अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष रैफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 27.04.1995 को स्वीकार करते हुये दाखिला खारिज संख्या 306 को निरस्त करते हुये, माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को प्रकरण प्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रैस्पो0 संख्या 02 व 03 को सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय दिनांक 12.03.1996 से बयनामा दिनांक 04.05.1962 को अवैध व शून्य मानते हुये उसके आधार पर स्वीकृत दाखिला खरिज संख्या 306 को निरस्त करते हुये, मूल प्रविष्टि, रैस्पो0 संख्या 07 गोपाल के नाम खातेदारी अंकित करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अपीलाण्ट ने उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने वाले कोई दस्तावेज हस्तगत अपील में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः माननीय राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के रहते, अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारो का अन्य पक्षकार को हस्तान्तरण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के आलोक में अवैधानिक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही प्रकरण उच्च न्यायालय से तय होने के कारण चलने योग्य नहीं पाया जाकर, खारिज किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.03.2012 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें

6. निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर